

निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0: 10 / प्रा0पत्र / 19

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय गढ पैलेस, झालावाड़
बनाम

प्रार्थी

मैसर्स देव स्टोन इण्डस्ट्रीज

प्रोपराइटर लटूरलाल पुत्र कल्याण लाल गुर्जर

पता- खसरा न0 28, गोकुलपुरा, तहसील झालरापाटन झालावाड़ (ऋणी व बंधककर्ता)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


—: निर्णय :-

दिनांक: 12.02.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ज प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया है अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से दिनांक 20.06.2014 को 5,00,000 /-रु. का ऋण लिया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण मय ब्याज के भुगतान की सिक्वोरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति जो खसरा न0 28 गोकुलपुरा ग्राम सर्किल झालावाड़ में स्थित है जिसमें फेक्ट्री, भूमि एवं भवन आदि सम्मिलित है जिसकी माप 1000 वर्ग मीटर है को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.04.2018 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया। अप्रार्थी के खाते में दिनांक 18.06.2018 तक शेष व देय बकाया 5,96,245 /-रुपये (अक्षरे पांच लाख छियानवे हजार दौ सौ पैतालिस मात्र) वसूली योग्य होने व उसका भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस भी प्रेषित किये गये जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थी द्वारा बैंक के पास रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सिक्वोरिटी के पेटे अचल सम्पत्ति जो खसरा न0 28 गोकुलपुरा ग्राम सर्किल झालावाड़ में स्थित है जिसमें फेक्ट्री, भूमि एवं भवन आदि सम्मिलित है जिसकी माप 1000 वर्ग मीटर है का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। ऋणदाता कम्पनी को अप्रार्थी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.04.2018 व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, अप्रार्थी के विरुद्ध 18.06.2018 तक शेष व देय बकाया 5,96,245 /-रुपये (अक्षरे पांच लाख छियानवे हजार दौ सौ पैतालिस मात्र) निकलते थे उक्त राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक/प्रार्थी कम्पनी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति खसरा न0 28 गोकुलपुरा ग्राम सर्किल झालावाड़ में स्थित है जिसमें फेक्ट्री, भूमि एवं भवन आदि सम्मिलित है जिसकी माप 1000 वर्ग मीटर है, जिसकी चतुःसीमाए पूर्व राजा भाई की फेक्ट्री, पश्चिम स्टाम्पस वाले चाचा का प्लाट, उत्तर इण्डस्ट्री रास्ता, दक्षिण बॉबी भाई की फेक्ट्री, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक/कम्पनी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी की कम्पनी में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी कम्पनी/बैंक, पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को भिजवाई जावे। सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थी को भी भिजवाया जाना उचित होगा जिससे वह ऋण दाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके, इसी क्रम में अप्रार्थी को इस आदेश से असन्तुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 12.02.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़